

ग्रामाण सेवा शावर-2025

एच न हे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प पत्नीदिपा

-: आदेश :-

प्राधी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पत्नीदिपा व भूअनि मिलू 05 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब तहसीलदार \_\_\_\_\_ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पत्नीदिपा तहसील रेलमगरा व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2033 में खाता संख्या 333 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	पत्नीदिपा	333	काला फुलाला जति नार्ड शा. देह	कबे चालाल फुलाला जति नार्ड शा. देह

सहायक कलक्टर  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहायक कलक्टर, \_\_\_\_\_  
रेलमगरा

दिनांक :- 29/9/25

क्रमांक / शावर / 2025 / 16  
प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्राधी श्री \_\_\_\_\_ को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहायक कलक्टर, \_\_\_\_\_  
रेलमगरा